राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय

स्काउट/गाइड राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा फ्लाईऑवर के पास,
जगतपुरा, जयपुर
E-mail-scoutguidestc@gmail.com दूरभाष 0141–2973131, 9784412094

प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्र

सभी सूचनाओं को पूरा करें :–

निम्न दस्तावेज संलग्न करें	**प्रवेश हेतु चयन होने पर**
• 2 पासपोर्ट आकार की फोटो • माता–पिता के आई डी सत्यापित प्रतिलिपि • छात्र के आधार कार्ड की प्रति • कब का अनुभव प्रमाण पत्र • छात्र के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति • पिछले स्कूल के शैक्षिक रिपोर्ट • विशेष कौशल/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र	1. पिछले स्कूल से स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र 2. अमानत राशि – सामान्य/ओबीसी– 10,000.00 अनु. जाति/जनजाति– 5,000.00

छात्र विवरण –

व्यक्तिगत विवरण

नाम – ..... उपनाम .....

जन्म तिथि – ...../...../..... आयु ..... दिन ..... माह ..... वर्ष

कक्षा के लिए आवेदन (2018–19 के लिए 6 वीं) .....

पत्राचार पता .....

..... पोस्ट ऑफिस ..... तहसील .....

जिला ..... पिन कोड ..... मो. न. .....

ई – मेल ..... राजस्थान

स्थायी पता .....

..... पो. ओ. ..... तह .....

जिला ..... पिन कोड ..... मो. न. .....

ई – मेल ..... राजस्थान

छात्र की शैक्षणिक पृष्ठभूमि –

पिछला स्कूल .....

कक्षा पांचवी का परीक्षा परिणाम अंक प्रतिशत ..... ग्रेड स्तर .....

कक्षा चार का परीक्षा परिणाम अंक प्रतिशत ..... ग्रेड स्तर .....

कक्षा तीन का परीक्षा परिणाम अंक प्रतिशत ..... ग्रेड स्तर .....

भाषा माध्यम ..... (हिन्दी/अग्रेजी)

स्कूल छोड़ने की तिथि एवं कारण .....

छात्र का कबिंग अनुभव – (सही का निशान लगाये)

एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष/चार वर्ष/पांच वर्ष .....

छात्र में कोई विशेष कौशल या अभिरूचि (संगीत/खेल/कला सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आदि) है तो उल्लेख करें ?

.....

.....

पारिवारिक विवरण

(अ) पिता .....

व्यवसाय/स्थिति .....

नियोक्ता .....

व्यापार पता .....

.....

फोन (आफिस) .....

फोन (घर) .....

मोबाईल नम्बर .....

ई मेल .....

(ब) माता .....

व्यवसाय / स्थिति .....

नियोक्ता .....

व्यापार पता .....

.....

फोन (आफिस) .....

फोन (घर) .....

मोबाईल नम्बर .....

ई मेल .....

(स) अभिभावक

नाम .....

छात्र से संबंध .....

पता .....

.....

फोन (आफिस) .....

फोन (घर) .....

मोबाईल नम्बर .....

ई मेल .....

(द) आपातकालीन संपर्क

नाम .....

छात्र से संबंध .....

पता .....

.....

फोन (आफिस) .....

फोन (घर) .....

मोबाईल नम्बर .....

ई मेल .....

क्या छात्र किसी रोग से पीड़ित है (चिन्हित करे) ?

हार्ट समस्या ?	हाँ / नहीं	रक्तचाप ?	हाँ / नहीं
श्वसन समस्या ?	हाँ / नहीं	मधुमेह ?	हाँ / नहीं
मिरगी ?	हाँ / नहीं	एलर्जी ?	हाँ / नहीं
फोबिया ?	हाँ / नहीं	हाल में कोई ऑपरेशन ?	हाँ / नहीं
अन्य जानकारी (लिखें)			

यदि हाँ, तो रोग उपचार संबंधी जानकारी उल्लेखित करें:

.....

.....

.....

सत्यापन –

मैं यह सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी एवं समस्त दस्तावेज पूर्ण विश्वसनीय है।

हस्ताक्षर (माता/पिता)

राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय,

जगतपुरा, जयपुर

आप सभी का राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय में हार्दिक स्वागत है। इसका मुख्य लक्ष्य नये विश्व में छात्रों को मानवीय मूल्यों, देशभक्ति, समर्पण एवं आदर्शो को उनका समग्र संभावनाओं के साथ प्रदान करना है।

मिशन एवं विजन

एक जीवंत और सृजनात्मक वातावरण में सांस्कृतिक मूल्यों, देशभक्ति तथा स्काउट के आदर्शों के साथ एक ऐसी संस्था का निर्माण करना, जो अनुशासन, स्वावलम्बन और सेवा भाव से परिपूर्ण सुसंस्कृत बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण करें, जो एक उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक के रूप में समाज का हिस्सा बनकर राष्ट्र के निर्माण व उन्नति में सहायक बने।

हमारे लक्ष्य हमारे मिशन को साकार करने के लिए:

- बच्चों के लिए रचनात्मक, नवाचारयुक्त, तनावमुक्त अधिगम का वातावरण प्रदान करना।
- देशभक्ति के साथ राष्ट्र के उत्थान में अपना त्याग प्रदान करने की प्रेरणा।
- गुणात्मक शिक्षा के द्वारा जीवंत व सार्थक पाठ्यक्रम प्रदान करना। पाठ्य सामग्री जो कि वैश्विक हो, दृष्टिकोण में व्यावहारिक हो, विधियों में अभिनव हो तथा आविष्कार का वाहक हो।
- बच्चों में संचार कौशल विकसित करना, जिससे वह अपने विचार आत्मविश्वास के साथ प्रकट कर सके।
- ऐसे अवसरों को सृजित करना, जिससे मौलिकता, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता जैसे आधारभूत कौशल विकसित हो सके।

- जीवन पर्यन्त प्रभावी संस्कृति की शिक्षा देते हुए बच्चों को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करना। साथ–साथ समृद्ध भारत की नैतिकता और मूल्यों को बरकरार रखना।
- बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्रशासनिक बोर्ड

राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय पाठ्यक्रम और हमारे शैक्षिक कार्यक्रम के अन्य पहलुओं के वितरण में अधिकतम प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक व्यापक संरचना है। स्कूल के समग्र प्रधान स्कूल प्रधानाचार्य है। किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप स्कूल के प्रधानाचार्य से सम्पर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

शैक्षिक मॉड्यूल का सिंहावलोकन

राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय का पाठ्यक्रम व कार्यक्रम परस्पर संवाद की प्रवृत्ति विकसित कर पूछताछ करने और कक्षा के भीतर और बाहर की दोनों दुनिया में चितंनशील शिक्षार्थियों को विकसित करने हेतु निर्मित किया गया है।

पाठ्यक्रम में विषय क्षेत्रों को समाहित करते हुए भी अनेकशः उसकी सीमाओं से परे भी ले जाता है। स्काउट (सैनिक) के मूल्यों से संचारित होने के कारण पाठ्यक्रम एक व्यापक आयाम पा जाता है। गणित भाषा का मूल शैक्षिणिक विषयों, कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है, उनको स्काउट विषय के आसपास एक बड़े ढ़ाचे में आकार दिया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थी कला व प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में जैसे संगीत, नाटक, नृत्य, कला, तकनीकी, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा, खेल, व्यक्तिगत और सामाजित शिक्षा भी प्राप्त करते है।

शिक्षण की तकनीकः (Pedagogy)

शिक्षण की तकनीक सरल व सुबोध होने के साथ परस्पर संवादपरक रखी जाती है। साथ ही प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए स्मार्ट क्लास की सुविधा प्रदान की जाएगी।

शैक्षिक वातावरण –

राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय में शिक्षण छात्र केन्द्रित, विविध शिक्षण शैली और मल्टीपल इन्टेलीजेंस के सिद्धांत पर आधारित है। हम आपके बच्चे के व्यक्तित्व और प्रतिभा का पोषण करने को कोशिश करेंगे साथ ही उसकी रूचि के अनुरूप उसे एक विशाल क्षेत्र में उद्घाटित करेंगे। हम तनाव रहित कक्षा वातावरण को प्रोत्साहित करते है, जहां पर आपका बच्चा कलात्मक अध्यापन तथा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से सीखता है। इस व्यक्तिगत **और केन्द्रित प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए हम कक्षा की साईज को 25–25 बच्चों पर सीमित** करते है। एक योग्य शिक्षक, जिसे लैब और तकनीकी सहायक, सहयोग करेंगे तथा वह एक ही कक्षा का प्रभारी है। हिन्दी, संगीत, कला, सूचना–तकनीक और शारीरिक शिक्षा विषय विशेषज्ञों द्वारा कराई जाती है। कक्षा अध्यापन व्यक्तिगत/वैयक्तिगत रूप से कराया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों से छोटे गतिशील समूह में कार्य कराया जाता है जिससे उनकी क्षमता प्रदर्शित होती है।

कक्षा के बाहर विद्यार्थियों को खेल तथा रचनात्मक गतिविधियों जैसे नृत्य, नाटक और संगीत में शामिल किया जाता है। साथ ही विद्यार्थियों को बुनियादी बागवानी, एग्रीकल्चर एवं डेयरी कार्य आदि सिखाया जाता है। स्कूल के पाठ्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधियों खेल, कला और समाज सेवा का एक सामंजस्य के माध्यम से सीखने के भीतर विविधता के लिए आपके बच्चे पर लागू रहेगा।

गृह कार्य –

सी.बी.एस.सी. परीक्षा पैटर्न के अनुसार छात्र की प्रगति को नियमित नोट किया जावेगा और मूल्यांकन को अभिलिखित कर सेमेस्टर रिपोर्ट में संकलित किया जावेगा। कक्षा कार्य एवं सह–शैक्षणिक गतिविधियों के साथ–साथ गृह कार्य का मूल्यांकन भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है।

स्कूल के दैनिक टाईम टेबल में एक निजी अध्ययन कालांश छात्रों के लिए निर्धारित है, जिसमें वह अपने कार्यों को पूर्ण कर और समीक्षा कर सकते है। स्व–अध्ययन के अनुशासन को प्रबल कर बच्चों को रचनात्मक, स्वरूचि से नये विषय पढ़ने का कार्य (आधा घण्टा) सप्ताह के किसी दिन रखा जाता है।

सप्ताहंत कक्षा कार्य का विस्तार या प्रोजेक्ट और रिसर्च कार्य हो सकता है, अधिकांशतः इसे छात्रों की भाषा दक्षता को विकसित करने के लिए बनाया जाता है। गृह कार्य आने वाले असाइनमेंट की तैयारी में सहयोगी हो सकता है।

मूल्यांकन

राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय में मूल्यांकन की प्रक्रिया विद्यार्थियों को नियमित प्रगति बताने के लिए डिजाईन की गई है। निरंतर मूल्यांकन कक्षा कार्य, गृह कार्य और प्रोजेक्ट्स पर आधारित है जो कि नियमित रूप से रिपोर्ट कार्ड पर अंकित कर सतत् फीड बैक दिया जायेगा। इस व्यवस्थित मूल्यांकन को टिप्पणी आधारित ग्रेडिंग के रूप में अकादमिक सत्र में दो बार इकट्ठा किया जायेगा। अंत में अभिभावकों को बच्चे का वर्ष भर के कार्य पर आधारित विस्तृत प्रोफाइल दिया जायेगा।

राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय की रिर्पोटिंग प्रक्रिया नियमित मीटिंग समर्थित है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन सीबीएसई आधारित परीक्षा प्रणाली से होगा। वर्ष में नियमित मासिक आधार पर परीक्षा ली जाकर अकादमिक सत्र में दो बार प्राप्त प्राप्तांकों से अंकतालिका के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।

गतिविधियां

यह कार्यक्रम समस्त सह–शैक्षणिक गतिविधियों को एक शैक्षणिक गतिविधि में प्रोग्राम ऑफ इन्क्वायरी में एकीकृत करता है। यह गतिविधियां सूचना को आयोजित कर संवाद सीखने में मद्द करती हैं। इस हेतु हम टाईम टेबल में विद्यार्थियों के लिए कालांश निर्धारित करते हैं जिससे कि वह रचनात्मक कला और ललित कला तथा शो केसिंग गतिविधियों में

व्यस्त रहते है। विद्यार्थियों को लाइब्रेरी–मीडिया सेंटर को नियमित उपयोग करने के लिए भी समय दिया जाता है। वह सामुदायिक सेवा में भी कैम्पस तथा आसपास समय देते है।

अकादमिक

कक्षा 6–8 के विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों से अवगत कराया जाता है, जिससे कि वह विविध विकल्प के प्रति उद्घटित हों। यह कार्यक्रम राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय के रूप में बनाया गया है। इससे विद्यार्थियों को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम एवं कक्षा 9 व 10 की परीक्षा की तैयारी करने में सहयोग मिलता है।

यह पाठ्यक्रम एक उतेजक और प्रभावी फ्रेमवर्क में तैयार कर, विषय संबंधित तथा उससे बाहर सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसमें विज्ञान, गणित, कला डिजाईन प्रौद्योगिकी, शारीरिक शिक्षा और तकनीक शामिल है। अंतिम वर्ष में विद्यार्थी पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहते हैं जिससे उन्हें कार्यक्रम के प्रति जो समझ विकसित है उसको प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को अपनी रूचि को अनुशीलन करने के लिए विशेष समय दिया जाता है, जिससे वह अनिवार्य सामुदायिक सेवा कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक दायित्व का वहन करते है।

हालांकि यह सूचि सम्पूर्ण नही है, विद्यार्थियों के लिए विषय भी उपलब्ध है। सी.बी.एस. ई. एक कठिन पाठ्यक्रम है, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी अभिवृति एवं प्रतिबद्वता से पूर्व अध्ययन से विषय लेने में आसानी होती है।

अकादमिक सामग्रीः

प्रत्येक विद्यार्थी को स्कूल द्वारा वेलकम किट दिया जायेगा, जिसमें पुस्तकें, स्टेशनरी डायरी, परिचय पत्र एवं स्कूल बैग आदि होंगे। यह विशेष ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक आइटम परमानेंट मार्कर से लेबल्ड हो।

बेसिक स्टेशनरी के अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल द्वारा प्रदत कम्प्यूटर का उपयोग करने का अवसर दिया जायेगा।

आंतरिक परीक्षा

राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय में आंतरिक परीक्षा का डिजाईन विद्यार्थियों को सी.बी.एस.ई. बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के अनुसार बनाया गया है। इन परीक्षाओं की संरचना तथा सामग्री विषय क्षेत्रों के अध्यापकों द्वारा की जायेगी। विद्यार्थियों को परीक्षा प्रणाली से जोड़ा जायेगा। मूल्यांकन का आधार वार्षिक परीक्षा, कक्षा टेस्ट, असाइनमेंट्स एवं प्रस्तुतिकरण होता है। सभी विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष एक आतंरिक परीक्षा होगी। विद्यार्थी का अगली कक्षा में जाना विद्यार्थी की उस स्तर की अकादमिक आवश्यकता को देखकर निर्णय किया जायेगा। अकादमिक स्टाफ की समीक्षा के उपरान्त ही कोई निर्णय लिया जायेगा।

बाह्य परीक्षा

स्कूल के वार्षिक कलेण्डर में बोर्ड परीक्षा का अनुमानित समयावधि को सम्मिलित किया जावेगा। बोर्ड से अंतिम तिथियां प्राप्त होने पर विस्तृत टाईम टेबल उपलब्ध कर दिया जावेगा।

परीक्षा का संचालन

बोर्ड द्वारा परीक्षा संचालन के उचित एवं आवश्यक नियम बनाये है। यदि विद्यार्थी इन नियमों की पालना नहीं करते है तो उनके अकादमिक वर्ष में अर्जित ग्रेड को निरस्त किया जा सकता है। राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय में आंतरिक परीक्षाओं में भी बोर्ड के दिशा निर्देशों की पालना की जायेगी।

रिपोर्ट्स

वर्ष के दौरान, अभिभावकों और विद्यार्थियों को अद्यतन मूल्यांकन रिकार्ड के द्वारा मिड–सेमेस्टर रिपोर्टस दी जायेगी। सेमेस्टर के अन्त में आपको कार्य की प्रत्येक विषयवार तथा सह–शैक्षणिक गतिविधियों पर विस्तृत टिप्पणियों की रिपोर्ट दी जायेगी। यह रिपोर्ट आपके ई–मेल, मैसेज पर प्रेषित की जायेगी और रिपोर्ट कार्ड भी दिया जायेगा।

शिक्षक – अभिभावक मीटिंग

नियमित शिक्षक–अभिभावक मीटिंग समर्थन और रिपोर्ट प्रणाली पर आयोजित होगी। जबकि अभिभावकों को रिपोर्टस ई–मेल पर प्राप्त होगी, परन्तु उन्हें अभिभावक–शिक्षक मीटिंग के माध्यम से अपने बच्चे की प्रगति पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। ये मिटिंग्स सत्र में दो बार अर्द्धवार्षिक आधार पर आवश्यक रूप से होगी।

उत्कृष्टता की छाप

मेधावी एवं प्रतिभावान विद्यार्थियो को स्कूल द्वारा प्रोत्साहित व सम्मानित किया जायेगा। विषय अध्यापक द्वारा नियमित डायरी में उत्कृष्ट कार्य व व्यवहार का रिकार्ड संधारित किया जायेगा। इन रिकार्ड को प्राचार्य के पास स्टार अवार्ड के लिए भेजा जायेगा, जो विद्यार्थी स्टार अवार्ड से स्म्मानित होंगे, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ मैरिट प्रदान किया जायेगा।

गणवेश (पोशाक)

विद्यार्थियों में अपनेपन की भावना और गर्वानुभूति जागृत करने के लिए राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय निःशुल्क तीन तरह की यूनिफार्म प्रदान करेगा। हमारे यहां तीन श्रेणी की यूनिफार्म विभिन्न अवसरों के लिए डिजाइन्ड है–

1. स्कूल यूनिफार्म स्काउट गाइड कलर स्कीम को ध्यान में रख कर बनाई गई है। (औपचारिक स्कूल शर्ट–(पूरी/आधी आस्तीन), औपचारिक नेवी ब्ल्यू स्कूल शर्ट्स/ट्राउजर, स्कूल मोजे, स्कूल टाई, काले जूते, स्कूल ब्लेजर, स्कूल बेल्ट, स्कूल स्वेटर (फूल/हाल्फ आस्तीन), स्कूल टी–शर्ट, हाऊस टी–शर्ट, स्पोर्ट्स शर्ट्स/ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स मोजे, स्पोर्ट्स जूते) स्कूल यूनिफार्म स्कूल द्वारा दी जावेगी।
2. स्काउट द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड औपचारिक स्कूल यूनिफार्म
3. हाऊस स्पोर्ट्स यूनिफार्म – हाऊस शर्ट और सफेद शर्ट्स, ट्राउजर्स/स्कर्ट
4. हॉस्टल ब्रॉड ड्रेस कोडः ट्रैक सूट/कूर्ता, पायजामा

किताबें

राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय में निर्धारित पैटर्न की एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तके निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेंगी।

स्मार्ट क्लास : कम्प्यूटर रूम सूचना तकनीक एवं इन्टरनेट नीतिः

स्कूल का परिसर WiFi है जो अनुसंधान एवं शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग करेगा। विद्यार्थियों को स्कूल द्वारा शिक्षा हेतु उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी सुविधाओं का उतम उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। सभी छात्रों व अभिभावकों को एक शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें यह अंकित किया जायेगा कि विद्यार्थी द्वारा सुविधाओं का उपयोग जिम्मेदारी एवं भारत सरकार के कानून के साथ किया जावेगा।

इसका तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी द्वारा बिना पूर्वानुमति के सिस्टम के किसी भाग के साथ छेड़छाड़ नहीं की जावेगी। विद्यार्थी द्वारा अनुपयोगी साइटों को ना देखा जावेगा ना ही डाउनलोड किया जावेगा तथा ना ही इस प्रकार की सामग्री को किसी अन्य विद्यार्थी को प्रेषित किया जावेगा।

विद्यार्थी अपने साथ कम्प्यूटर पर उपयोग में लेने हेतु कोई सामग्री नहीं लायेंगे जो स्कूल के लिए अनुपयुक्त अथवा आपतिजनक हो।

कक्षा 6 से आगे के सभी विद्यार्थियों को कार्य करने हेतु पी.सी. उपलब्ध कराया जावेगा, यह पी.सी. स्कूल के नेटवर्क से जुड़ा होगा।

राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय के नेटवर्क को निजी स्पेस के रूप में सम्मान दिया जावेगा पर इसका निरीक्षण राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा सकेगा। छात्रों द्वारा स्कूल के नेटवर्क में उपयोग में लिए जा रहे कम्प्यूटर्स को मोनिटर करने का अधिकार स्कूल के पास रहेगा। यदि विद्यार्थी द्वारा सिस्टम का दुरूपयोग करते हुए पाया गया तो सिस्टम को उपयोग में लेने से मना करने अथवा सामग्री जब्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। आवश्यकता होने पर इससे भी सख्त

कार्यवाही की जायेगी। सभी छात्रों एवं उनके अभिभावकों को उक्त पॉलिसी पर इस घोषणा के साथ हस्ताक्षर करने होंगे कि उन्होंने इसे पढ़ एवं समझ लिया है।

अनुशासन एवं पाबंदी

सभी छात्रों को सफलतापूर्वक शिक्षा निम्नलिखित तीन मूल सिद्वान्तों पर आधारित वातावरणों में संभव है:

- स्वयं के लिए सम्मान
- दूसरों के लिए सम्मान
- स्वयं एवं दूसरों की संपति के प्रति सम्मान

स्कूल के सभी विस्तृत नियम इन तीन मूल अपेक्षाओं की प्राप्ति के साथ बेहतर बातावरण बनाए रखने के लिए है। अध्यापक और प्रबंधन को यह अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है कि वह स्कूल की पॉलिसी और नियमों की मर्यादा बनाए रखते हुए निष्पक्ष और सुसंगत अनुशासन से छात्रों की गरिमा को बरकरार रखे।

सभी विद्यार्थियों को अपेक्षित आचार संहिता का पालन करना होगा। यदि विद्यार्थी इनका उल्लंघन करते है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। अनुशासन का परम लक्ष्य विद्यार्थियों को नैतिक व सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देना और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना है। हम यह विश्वास रखते है कि स्वयं का अनुशासन ही सर्वश्रेष्ठ अनुशासन है। हमारे लोकाचार सीख के अनुसार हम कम से कम दण्ड हो और प्रतिबंध के स्थान पर रचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में विश्वास रखते है, जिससे आत्म प्रतिबिंब दृष्टिकोण विकसित होता है। इस फ्रेमवर्क के अर्न्तगत प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह अनुशासन की भावना जो कि उसमें व्यक्तिगत विकास और सामुदायिक भावना का सहयोग करें, उसे विकसित करे।

यदि समस्या का समाधान नही निकलता है तो प्राचार्य के साथ विचार–विमर्श के उपरान्त कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही या अन्य, विद्यार्थी को समझाने तथा अनुकूल

परिस्थिति के अनुसार की जावेगी। हर केस में हम विद्यार्थी का आचरण सुधारने हेतु ना, कि दंडित करने का प्रयास करते है। सभी के परिणाम अलग हो सकते है क्योंकि उनका स्तर, ग्रेड, परिस्थिति भिन्न होती है। मोटे तौर पर इसमें निलम्बन, सशर्त स्थिति, परिविक्षाधीन स्थिति सम्मिलित है। विद्यार्थी हर स्तर पर अपने चाल–चलन आदि को वार्ता एवं लिखित में प्रस्तुत करेगा। अभिभावकों को भी सूचित रखा जायेगा तथा यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तब उन्हें प्राचार्य से वार्ता हेतु बुलाया जायेगा। अनुशासन समिति किसी भी गम्भीर उल्लंघन को ध्यान में रखकर कठोर प्रतिबन्ध लगायेगी। इस समिति में प्राचार्य, सी. ओ. स्काउट, प्रशिक्षण केन्द्र), अध्यापक और एक छात्र प्रतिनिधि होगा। यह समिति समय–समय पर गठित की जाती है जो कि जांच पर प्राचार्य को अनुशंषा भेजेगी।

स्वास्थ्य एवं खेलकूद गतिविधियां

राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधांए, कोचिंग और शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा। माता–पिता/अभिभावकों को इस कार्यक्रम को समर्थन देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रारम्भिक वर्षो के कार्यक्रम के छात्रों को इस योजना का पालन करना होगा जिसके जरिए उनमें समन्वय, शक्ति लचीलापन एवं आंतरिक बल विकसित हो सकेगा। धीरे–धीरे वे कौशल भी विकसित किये जाऐंगे जिनसे छात्र सफल तरीके से अलग–अलग खेलों में दक्षता हासिल कर सके।

निम्नलिखित खेलकूद नियमित रूप से आयोजित किये जायेंगे, जो छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ बनायेंगें –

1. बास्केट बॉल
2. एथलेटिक्स
3. टेनिस
4. खो–खो
5. बॉलीबाल
6. टेबिल टेनिस
7. कब्बड्डी
8. तीरंदाजी
9. क्रिकेट
10. खो–खो

स्काउट : पृष्ठभूमि

स्काउट जीवन – स्काउटिंग एक प्रकार की जीवन पद्धति है जिसके माध्यम से बालकों में अन्तर्निहित प्रतिभा का विकास खेल व गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से अनेक प्रतिभाओं से युक्त होता है। स्काउटिंग अन्तः शक्तियों को पहचान कर उसे चारित्रिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से खुलकर विकसित होने का अवसर प्रदान करना ही स्काउटिंग का उद्देश्य है। संगठन में एक बालक को चारित्रिक गुणों से युक्त, शारीरिक रूप से स्वस्थ, हस्तकलाओं व आवश्यक जीवनोपयोगी कलाओं में निपुण तथा समाज की निःस्वार्थ सेवा करने की भावना से युक्त बनाकर उसे देश का उपयोगी एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित किया जाता है। यही कारण है कि इस विश्व व्यापी आन्दोलन को शिक्षा विदों द्वारा शिक्षा का पूरक अंग स्वीकार किया गया है। स्काउटिंग जीवन दर्शन का मूल मंत्र 'स्वयं करके सीखो' है, जिससे बालक प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं ही ज्ञान अर्जित करने को लालायित रहता है। संगठन में प्रशिक्षण की मूल पद्धति बालको को बालको द्वारा है, जिसे टोली पद्धति कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्रभावशाली प्रशिक्षण पद्धति है, जिसमें वयस्क की भूमिका मार्गदर्शक की है। बालक को बालक द्वारा ही खेल–खेल में प्रशिक्षित किया जाता है।

स्काउटिंग प्रशिक्षण के दैनिक कार्यक्रम में प्रातः 5.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक अनवरत् गतिविधियां चलती रहती है, जिसमें सभी प्रकार की शिक्षाओं के सत्र निर्धारित है। दिवस पर्यन्त चलने वाली शैक्षिक गैर–शैक्षिक प्रशिक्षण को इस तरह समय बद्ध किया गया है कि वे उबाऊ न होकर मनोरंजक बनी रहती है। यही कारण है कि शिक्षण प्रशिक्षण प्रभावोत्पादक बना रहता है।

समयावधि	कार्य
प्रातः 05.30 बजे	जागरण
5.30 से 6.30 बजे	नित्य कर्म/शयन कक्ष की सफाई
6.30 से 7.30 बजे	व्यायाम/योग/खेल/किचन गार्डन/स्नान

7.30 से 8.00 बजे	नाश्ता एवं विद्यालय प्रस्थान
8.05 से 2.10 बजे	विद्यालय में अध्ययन (दोपहर 12.00 से 12.40 बजे तक लंच)
2.10 से 3.30 बजे	विश्राम
3.30 से 4.00 बजे	उपचारात्मक शिक्षण
4.00 से 4.15 बजे	नाश्ता
4.15 से 5.30 बजे	बलकों द्वारा विद्यालय में गृहकार्य करना
5.30 से 6.30 बजे	व्यावसायिक / कम्प्यूटर / स्काउट / आउटडोर गतिविधियां
6.30 से 7.00 बजे	खेल (शिक्षक की सहायता से)
7.00 से 7.30 बजे	रात्रिकालीन भोजन
7.30 से 9.00 बजे	सहशैक्षिक गतिविधियाँ (उप समूहों में)
9.00 से 10.00 बजे	स्वाध्याय

पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियां

- शास्त्रीय एवं लोक संगीत
- नृत्य
- नाटक
- व्यावसायिक कौशल / आजीविका
- कृषि

छात्र परामर्श

- अंग्रेजी भाषा – बोल चाल एवं लिखित दोनों पर विशेष ध्यान
- विशेष शिक्षा जरूरत के अनुसार
- कम्प्यूटर साक्षरता
- कैरियर परामर्श

विशेष शिक्षा हेतु कई मामलों में स्कूल के विद्यार्थियों को कुछ सीखने में मुश्किल आ सकती है जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता पड सकती है। हम विद्यार्थियों का परीक्षण कर उन्हें तद्नुसार SEN (स्वयं सहायता समूह) के तहत उन छात्रों को विशेष स्थान दिये जा सकते है। तत्पश्चात् वे विशेष शिक्षकों के साथ काम कर सकते है एवं मुख्य रूप से तैयार शिक्षा कार्यक्रम से जुड सकते है।

शैक्षणिक एवं कैरियर परामर्श

आठवीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों के लिए निरन्तर परामर्श की व्यवस्था है जिसकी मदद से वे सी.बी.एस.ई. के स्तर के विषयों का चयन कर सकते हैं। वे अपने स्कूल सलाहकार, प्राचार्य व विषय शिक्षकों की मदद लेकर विषय विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं।

विद्यार्थियों के व्यक्तिगत निर्णय की मदद के लिए स्कूल व्यक्तिगत मार्गदर्शन, साक्षात्कार हेतु छात्रों व उनके माता–पिता को मार्गदर्शन देगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि छात्रों से मिलने के लिए स्कूल का दौरा करेगें।

प्रवेश प्रक्रिया

राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय में प्रवेश से पहले राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन से पहले माता–पिता एवं अभिभावकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए –

1. प्रवेश नीति – रिक्त स्थानों की उपलब्धता के अनुसार राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय राज्य में बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। 1 अगस्त को आयु इस प्रकार होनी चाहिएः
2. ग्रेड आयु – कक्षा 6 के लिए कक्षा 5 उतीर्ण तथा अधिकतम 13 वर्ष

   इस नीति में कभी कभी रियायत दी जा सकेगी जो स्कूल कमेटी के विवके पर निर्भर करेगा। ग्रेड 6 में नियमित शैक्षणिक प्रोग्राम के लिए अंग्रेजी भाषा में आसानी से बोलचाल करना बच्चों के लिए आवश्यक नहीं होगा। ग्रेड 10 व 12 में सामान्यतः नए विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जब तक कि वह सी.बी.एस.ई. के दो साल के

शैक्षणिक कार्यक्रम से स्थानान्तरण होकर नहीं आए हो। स्थानान्तरण से आये मामलों में भी प्रवेश देने के बारे में स्कूल कमेटी की समीक्षा के अनुसार ही निर्णय किये जायेंगे।

3. प्रवेश व्यवस्था –राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय एक स्वतंत्र स्कूल है व इसमें प्रवेश स्कूल की कमेटी के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश हेतु आवेदन छपे हुए प्रोस्पेक्ट्स में सलग्न फार्म पर ही सम्भव होगा या हमारी वेबसाईट के माध्यम से हो सकेगा। राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी के सम्पूर्ण शिक्षण व विकास में विश्वास करता है। हर बच्चे में अपना–अपना हुनर व बुद्वि होती है। जिनका हम पूर्ण विकास करना चाहते है, साथ ही उनमें नए कौशल को विकसित करने का प्रयास करेंगे। प्रवेश के लिए मूल्यांकन विद्यार्थी, उसके माता–पिता स्कूल प्राचार्य, सी. ओ. स्काउट (प्रशिक्षण केन्द्र), व वरिष्ठ शिक्षकों के बीच अनौपचारिक बातचीत के आधार पर किया जायेगा। इस अनौपचारिक चर्चा से बच्चे व उसके परिवार के राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय में प्रवेश के असली कारणों को जानना आसान तरीके से सम्भव होगा। इस चर्चा के जरिये बच्चे के हुनर व रूचि और उसकी पूर्व उपलब्धियों को जानना भी सम्भव होगा।

   वेबसाईट पर प्लेसमेंट टेस्ट और चर्चा की तिथियां उपलब्ध होगी। अगर प्रवेश हेतु चाही गई कक्षा में कोई रिक्तियां नही है तो विद्यार्थियों को एक प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा और उसके अनुसार ही रिक्त स्थान भरे जायेगें। माता पिता को सलाह है कि वो जल्दी से जल्दी राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करें।

   प्रवेश के लिए मूल्यांकन से पूर्व माता–पिता/अभिभावकों को निर्धारित फार्म भरने होंगे। निर्धारित पंजीकरण शुल्क और पिछले दो वर्षो में विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता प्रस्तुत करनी होगी और साथ ही पिछले स्कूल से विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत अनुशंषा भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी के जन्म व नागरिकता के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे और माता–पिता किस देश में कार्यरत है इसके भी सबूत और दस्तावेज देने होंगे। स्कूल की वेबसाईट के जरिये इन मुद्दों की विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।

स्कूल प्रपत्र

क्षतिपूर्ति – स्कूल आपके बच्चे को स्वस्थ व सुरक्षित रखने का हर सम्भव प्रयास करेगा लेकिन अनपेक्षित व आपात परिस्थितियों हेतु माता–पिता को एक क्षतिपूर्ति फार्म पर हस्ताक्षर देना होगा जो प्रवेश पत्र में संलग्न होगा। माता पिता एक प्रपत्र पर भी हस्ताक्षर करेंगे जिसके तहत समय–समय पर स्कूल बच्चे के लिए आवश्यक निर्णय ले सकने में सक्षम होगा। इनमें Trekking, Camping, Sports, Culture Excursion भी शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों हेतु जब भी विद्यार्थी किसी अन्य स्कूल में जायेंगे तो शिक्षकगण में से प्रभारी सदस्य उनके साथ भेजा जायेगा।

माता–पिता सहमति प्रपत्र

स्कूल में प्रवेश के साथ–साथ माता–पिता को एक सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। जिसके तहत विद्यार्थियों को स्कूल के सभी नियमों, नीतियों और फीस संबंधी बदलाव को स्वीकार करना आवश्यक होगा। इनमें वो सब यात्राएं भी शामिल होगी जिनमें विद्यार्थियों को खेलकूद, उत्सव या अन्य प्रतियोगिताओं में भाग दिलाना स्कूल उचित समझेगा।

स्वास्थ्य प्रपत्र

स्कूल के लिए प्रत्येक विद्यार्थी का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अहम् है। इस हेतु माता–पिता को स्वास्थ्यता प्रपत्र पूरी सावधानी व जानकारी के साथ भरना चाहिए ताकि उनके बच्चे की देखभाल व सुरक्षा ठीक तरह हो सके। खास तौर से बच्चे के टीकाकरण व एलर्जी संबंधी रिकार्ड स्वास्थ्यता प्रपत्र में सम्पूर्ण विवरण के साथ भरने होंगे।

फीस नीति

एक स्वतंत्र स्कूल होने के नाते हम उच्च मानकों के साथ बेहतरीन सुविधाएं विकसित करते है। स्कूल की फीस और नीतियां इन सुविधाओं की सही तरीके से देखभाल करने हेतु निर्धारित की जाती है। प्रवेश के समय जमानती राशि जमा करानी होगी जो सामान्य एव ओ. बी.सी. के लिए 10,000.00 रू. और अनु. जाति एवं जनजाति श्रेणी के छात्रों के लिए 5,000.00

रू. निर्धारित की गई है, जो विद्यालय की अन्तिम कक्षा उतीर्ण होने पर वापसी योग्य है। शेष शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क निःशुल्क है।

स्कूल की फीस चार्ट, नियम व प्रवेश प्रक्रिया कार्यालय में उपलब्ध है एवं इन्हें स्कूल की वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार जब छात्र के प्रवेश की लिखित पुष्टि हो जाती है तो सुरक्षा जमा राशि तुरन्त जमा करवानी आवश्यक है जो कि प्रतिदेय होगी।

यदि कोई वांछित शुल्क जमा नहीं कराया गया तो उसे सुरक्षा जमा से वसूला जायेगा। इसमें बिना निर्धारित नोटिस के स्कूल छोड़ने पर नोटिस पीरियड फीस भी शामिल होगी। स्कूल से अकादमिक वर्ष के अन्त में पास आउट होने, स्थानान्तरण होने या स्कूल छोड़ने पर सुरक्षा फीस स्कूल के खुलने के 60 दिनों के अन्दर वापिस की जायेगी लेकिन इनमें कोई भी फीस अगर बकाया है तो वो सुरक्षा राशि में से नियमानुसार काटी जायेगी। इस विषय में अगर स्कूल और माता–पिता/विद्यार्थी के बीच अगर कोई मतभेद होंगे तो उन पर स्कूल प्राचार्य का फैसला अन्तिम होगा। प्राचार्य द्वारा अपने विवके से किया गया निर्णय सभी पक्षों को मान्य एवं बाध्य होगा।

फीस हेतु दिशा–निर्देश

- निर्धारित तिथि तक जमानती शुल्क भरना आवश्यक होगा।
- जमानती शुल्क जो कि प्रतिदेय है, के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी

प्रत्येक विद्यार्थी को आई.टी. के लिए नाम मात्र सालाना शुल्क देना होगा जिसके जरिए वो नवीनतम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का हकदार माना जाएगा। ये सुविधाएं वैसे बेहद महंगी है।

आकस्मिकता खाता

सभी विद्यार्थियों के लिए आकस्मिकता खाता एक पेशगी खाते के रूप में रखा जाएगा। इसके जरिए विद्यार्थियों की पोशाक, फील्ड ट्रीप, स्वास्थ्य खर्चो, एक्सीडेन्ट इन्श्योरेंस, यात्रा एवं

टिकिट खर्चो तथा परीक्षा शुल्क इत्यादि सभी खर्चों पर लगने वाला पैसा शामिल होगा। इन सभी खर्चों की पूर्ति हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 10,000.00 रू. का बैलेन्स आकस्मिक खाते में रखना होगा।

आकस्मिक खाते का विस्तृत ब्यौरा माता–पिता को हर साल 4 बार भेजा जाएगा। माता–पिता को विद्यार्थी पर खर्च हुए पैसों की भरपाई करनी होगी ताकि आकस्मिक खाते में विद्यार्थी का न्यूनतम बैलेन्स नियमानुसार बना रहे।

शुल्क डिफॉल्ट

नियमानुसार जमानती शुल्क यदि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराया गया तो विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

टी. सी., अनुशंसा पत्र तभी जारी किए जाएंगे जब स्कूल के प्रतिदेय समस्त शुल्क जमा करा दी जायेगी। गंभीर एवं आपराधिक श्रेणी के कृत्यों पर छात्र की सुरक्षा राशि जमा राशि भी जब्त की जा सकती है।

बीमा

सभी विद्यार्थी स्कूल की ग्रुप मेडिकल इन्श्योरेंस पॉलिसी में शामिल होंगे। जिसकी राशि उनके माता–पिता से वसूली जाएगी। अगर किसी विद्यार्थी का बीमा पहले ही हो चुका है तो उससे संबंधित दस्तावेज स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करने होंगे। विद्यार्थी के किसी भी व्यक्तिगत सामान के खो जाने, खराब हो जाने या चोरी होने की कोई भी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी।

पुनः प्रवेश

कभी–कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थी पुनः प्रवेश चाहे। ऐसे में स्कूल कमेटी को ही सभी फैसले करने का अधिकार होगा। पुनः प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रवेश की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा हालांकि स्कूल के प्रिसिंपल के विवेक पर इस शर्त को हटाया भी जा सकता है। पुनः प्रवेश पर विद्यार्थी को पुनः जमानती शुल्क जमा कराना होगा। अन्य सभी मामलों में माता–पिता को यह राशि पुनः जमा करवानी होगी जिनमें वे मामले भी शामिल होगें जिनमें स्कूल से हटने की प्रक्रिया तो प्रारम्भ हो गई है किन्तु माता–पिता ने बकाया राशि दी/ली नहीं है।

पुनः प्रवेश सारी बकाया राशि संबंधित मामले के निपटारे के बाद ही सम्भव होगा। सुरक्षा जमा विद्यार्थी के कक्षा के अनुसार होगा।

विराम अवकाश (Sabbatical)/वापसी प्रक्रिया

वापसी – हमारी इच्छा व उम्मीद है कि प्रत्येक विद्यार्थी राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय को शिक्षा और व्यक्तिगत विकास का केन्द्र मानेगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी विद्यार्थी को स्कूल छोड़ने के अनेक कारण हो सकते है। ऐसी परिस्थितियों में माता–पिता या अभिभावकों को स्कूल के प्राचार्य को निर्धारित फॉर्मेट में लिखित पत्र या ई–मेल के द्वारा सूचित करना होगा। इस जानकारी की प्रतिलिपि संबंधित प्राचार्य, प्रवेश के मुखिया एवं सहायक वित नियंत्रक को देनी आवश्यक होगी।

वापसी के अनुरोध – नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार होगी –

- पूर्व कार्यकाल के छात्र जो प्रवेश के साल में ही हटना चाहते है, उन्हें संबंधित साल में 30 जून तक लिखित जानकारी देनी होगी।
- परीक्षा में अनुतीर्ण विद्यार्थी अगर स्कूल से हटना चाहते है तो उन्हें परिणाम घोषित करने के पन्द्रह दिन में आवेदन करना जरूरी होगा।

ऐसे मामले में वापसी का एक आवेदन भर कर परिणाम के पन्द्रह दिन में देना होगा जिसका सम्पूर्ण पुष्टि 30 दिन में करनी होगी।

सशर्त वापसी

जो माता–पिता स्कूल के अगले सत्र में बच्चे को हटाने की सोच रहे हों, उन्हें सशर्त वापसी का अनुरोध तय समय सीमा में देना होगा, जिसकी पुष्टि 31 दिसम्बर या 31 मई (जो भी प्रासंगिक हो) तक करनी होगी। इसके पश्चात अगले सेमेस्टर में छात्र के सीट की कोई गारन्टी नही होगी।

इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए छात्रों को वापसी फार्म भरना होगा जो प्रवेश दफ्तर में उपलब्ध होगा। स्कूल की समस्त सम्पति, जिनमें पाठ्य पुस्तकें भी शामिल होगी, वापिस

की जानी चाहिए और उनके सही हालत में होने का प्रपत्र लेने के बाद ही परीक्षा परिणाम, टी.सी. या अगले स्कूल या कॉलेज के लिए अनुशंसा पत्र जारी किए जायेंगे।

प्रतिदाय

प्रॉसपेक्टस, पंजीकरण एवं प्रवेश – स्कूल से या स्कूल के जरिए खरीदे गए उपकरणों, किताबों, स्टेशनरी, वर्दी इत्यादि किसी भी हालत में वापस नहीं लिए जाएंगे और इन पर खर्च हुई राशि को वापिस नहीं दिया जाएगा।

अनुशासनात्मक कारणों से जिन विद्यार्थियों को स्कूल सत्र के बीच में ही छोड़ने को कहा जाएगा उन्हें पूरे सेमेस्टर की फीस देनी होगी या उसे सुरक्षा जमा राशि से काटा जाएगा।

स्कूल के हटने का नोटिस लिखित रूप में प्राचार्य/सी. ओ. स्काउट(प्रशिक्षण केन्द्र) को प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति प्रवेश प्रक्रिया के मुखिया को भी देनी होगी। अगर वापसी नोटिस तय समय सीमा में नहीं दिया गया तो इसके एवज में सुरक्षा जमा राशि से उपयुक्त कटौती की जाएगी।

अकादमी सत्र के अन्त में उतीर्ण होने वाले/हटने वाले या ट्रांसफर मामलों में जमा राशि स्कूल के नए सत्र शुरू होने के 60 दिनों में छात्रों को वापिस दी जायेगी, लेकिन उससे पहले कोई भी बकाया राशि सुरक्षा जमा राशि से काट ली जाएगी। सत्र के बीच में हटने वालों की प्रक्रिया छात्र के अंतिम उपस्थिति के 120 दिन में की जाएगी। स्कूल से कोई भी प्रतिदाय लेने से पहले परिशिष्ट – 2 में दी गई अदेयता प्रमाण पत्र भरना आवश्यक होगा।

स्थानान्तरण प्रमाण – पत्र (टी.सी.)

टी.सी. तभी जारी होगी, जब विद्यार्थी ने स्कूल की सभी राशि जमा करा दी होगी और स्कूल के सभी उपकरण/किताबें सही हालत में लौटा दिए होंगे। नीति में अंकित सभी शुल्क स्कूल के वार्षिक अनुसूची में दी गई दरों के अनुसार ही वसूला जाएगा। इस समय की फीस अनुसूची स्कूल के वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

स्कूल नियम

छात्र व्यवहारः राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय माता–पिता को सभी छात्रों में नैतिक मूल्यों एवं अनुशासन को विकसित करने में पूरा सहयोग करना होगा ताकि प्रत्येक छात्र का व्यवहार उच्च कोटि का हो। जहां तक सम्भव होगा छात्रों की परवरिश व देखभाल इस ढ़ंग से की जाएगी, जिससे उनमें वो मूल्य विकसित हों जो आज की जटिल दुनिया में आवश्यक है। हम मानते है कि अनुशासन के प्रति आदर का भाव सही उदाहरण व बढ़िया व्यवहार की अपेक्षा द्वारा ही छात्रों में पैदा होगा।

तम्बाकू, शराब व अन्य बूरी आदतों के बारे में छात्रों को निरन्तर मार्गदर्शन दिया जाएगा। उचित व्यवहार के संदर्भ में राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय का आवश्यक नियम होगा कि छात्र हमेशा समझदारी से व्यवहार करेगा। नीचे दी गई सूची में जो भी मुद्दे शामिल नहीं है, उनका निस्तारण इसी नियम के तहत किया जाएगा। छात्रों को उचित व्यवहार के विषय में यदि कोई उलझान हो तो उन्हें समझाइश के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन उपलब्ध रहेगा।

शिष्टाचारः राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति आदर एवं शिष्टाचार का पालन करेंगे। शारीरिक या शाब्दिक, दबाव या बदमाशी स्कूल के संस्कृति में निषिद्ध है। हमें एक दूसरे का एवं स्कूल में आए आगंतुकों का हमेशा अभिवादन करना होगा व उनको भी मदद की जरूरत हो तो देनी होगी। छात्रों को समय–समय पर शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

स्कूल परिसर में चलनाः स्कूल परिसर में चलते फिरते समय शांति एवं संयम बनाए रखना है एवं सबको अपने दाएं हाथ की तरफ रहना है। भोजन अवकाश व दूसरे अंतराल के समय छात्रों को अपने नियत स्थान पर ही रहना होगा। जब तक कि कोई शिक्षक उन्हें किसी अन्य स्थान पर जाने की इजाजत नहीं दे। सुरक्षा की दृष्टि से छात्रों को पंक्तिबद्ध व्यवस्था का पालन करना होगा।

सीमा से बाहरः छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से परिसर के कुछ हिस्सों में जाने पर प्रतिबन्ध होगा जब तक कि कोई शिक्षक उनके साथ न होः

1. पूल, पी.ई. स्टोर, एडवेंचर, उपकरणों के कमरों, लैब में।
2. रख–रखाव विभाग, रसोईघर, स्टोर रूम में।

3. शाम को एवं सप्ताहंत पर स्कूल परिसर में बिना किसी स्कूली गतिविधि के ।

4. सेवा के सभी इलाके।

5. प्रशासनिक भवन में बिना कामकाज के।

अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही

किसी भी प्रतिबन्धित एवं अवांछित गतिविधि में संलिप्त होने पर विद्यालय द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ड्रेस कोडः

राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय में हम विद्यालय की पोशाक के लिए एक सैद्धान्तिक एवं आरामदायक दृष्टिकोण (अप्रोच) रखते है। विद्यालय के नियमों के अनुसार पोशाक को हम विद्यार्थी समुदाय के मध्य एकता एवं शान्ति का एक अत्यावश्यक अवयव मानते हैं। पोशाक को विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं आराम के अनुसार अनुकूल बनाया गया है। वस्त्रों की स्वच्छता एवं सफाई तथा आविर्भाव व्यक्तिगत कुशलक्षेम के भाग हैं। विद्यालय की पोशाक राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के ड्रेस कोड की तरह है। विद्यार्थियों को अपने बालों को संवार के रखना होगा, किन्तु जब पोशाक में नहीं हों तो तय मानदण्डों के अनुरूप मान्य सीमा में विभिन्न शैली में बाल बनाने की अनुमति है। बालों की स्टाइल बेतुकी या रंगीन नही होगी। सभी विद्यार्थियों को अपने नाखून सुव्यवस्थित तरीके से कटे हुए एवं साफ रखने होंगे। अन्य शरीर वेधन (body piercing) की कोई अनुमति नहीं है। लड़कों को इयरिंग्स या अन्य शरीर भेधन की अनुमति नहीं है।

उपस्थिति नीतिः

विद्यालय कलेण्डर में दी गई तिथियों के अनुसार विद्यार्थियों को सभी कार्य दिवसों को विद्यालय में उपस्थित रहना चाहिए। विद्यालय दिवसों को उन्हें दी गई समय सारिणी के अनुसार सभी कक्षाओं एवं गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है।

चूँकि विद्यालय में वर्ष के दौरान अन्तराल का प्रावधान है, अतः अभिभावकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों के लिए अतिरिक्त अवकाश की मांग नहीं करेंगे। विद्यालय कलेण्डर के अनुसार विद्यार्थियों को उनके विद्यालय एवं कक्षा की उपस्थिति को 90 प्रतिशत से ऊपर

रखना होगा। यदि कोई विद्यार्थी एक या दो दिवस का चिकित्सा अवकाश चाहता है तो उसे प्राचार्य को विद्यालय लौटने पर पत्र भेजना होगा। अधिक लम्बी अनुपस्थिति के लिए कृपया विद्यार्थी के फॉर्म ट्यूटर को समय पर अधिसूचित करें और प्राचार्य/सी. ओ. स्काउट (प्रशिक्षण केन्द्र) के नाम नोट के साथ चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। अन्य किसी प्रकार के अवकाश के आवेदन के लिए विद्यालय के प्राचार्य/सी. ओ. स्काउट (प्रशिक्षण केन्द्र) से पूर्व में सम्पर्क करेंगे। प्राचार्य/सी. ओ. स्काउट (प्रशिक्षण केन्द्र) ऐसे अवकाश को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते है।

समय की पाबन्दी:

विद्यार्थियों को प्रत्येक पाठ एवं गतिविधि के साथ–साथ सौंपे गये कार्यों के लिए समय की पाबन्दी रखनी चाहिए। प्रारंभिक देरी को विषय अध्यापक द्वारा देखा जायेगा व फॉर्म ट्यूटर के ध्यान में लाया जायेगा। बारम्बार देरी से आने पर फॉर्म ट्यूटर द्वारा दंड के रूप में विद्यार्थी को छुट्टी के बाद रोके जाने की कार्यवाही की जायेगी। पर्याप्त व बारम्बार अनुशासन भंग करने पर फॉर्म ट्यूटर द्वारा 'रिपोर्ट कार्ड' पर अभिभावकों के द्वारा गोपनीय परीक्षण के लिए दर्ज किया जावेगा।

स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन (पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन):

भारतीय संस्कृति में संचालित यह एक भारतीय विद्यालय हैं तथा इस विषय पर भारतीय संस्कृति की स्वाभाविक विशिष्टता के प्रति संवेदनशील हैं। अतः किसी भी शारीरिक समीपता के प्रदर्शन या अंतरंगता की अनुमति नहीं देते है।

कूड़ा – करकट फैलाना:

हमारा कैम्पस हरा–भरा एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है तथा इसका बहुत अच्छे तरीके से रख–रखाव किया हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का कुड़ा–करकट फैलाना वर्जित है। अतः उपलब्ध कराये गये कचरा–पात्रों का उपयोग करना होगा व वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने में हमारा सहयोग करेंगे।

विद्यालय की सम्पति को नुकसान पहुंचानाः

यह आपका विद्यालय है। कृपया इसका सम्मान करें और इसकी रक्षा करें। विद्यालय की सम्पति को जानबूझकर क्षति पहुंचाने पर दोषी विद्यार्थी पर शास्ति अधिरोपित की जायेगी। यदि किसी एक की पहचान नहीं होती है तब तक शास्ति की वसूली दोष में शामिल रहे शिष्यों के समूह से की जायेगी। शास्ति में पहुंचाये गये नुकसान की भरपाई के बराबर की राशि व प्रशासनिक चार्ज सम्मिलित होंगे। हालांकि यदि टूट–फूट दुर्घटनावश हुई है तो उस सामान के बदलने के मूल्य के बराबर की राशि वसूल की जायेगी। टूट–फूट के मामलों में प्राचार्य एवं संबंधित प्रभारी गण पंच होंगे।

स्वामित्व (Possession):

सभी वस्त्रादि एवं व्यक्तिगत सामान को विद्यार्थियों के रोल नम्बर के साथ स्पष्ट रूप से चस्पा (लेबल्ड) होगा। यह प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व होगा कि वह अपने सामान की देखभाल करे। राशि सहित कीमती सामान, लैपटॉप, पेन्स, कैलकुलेटर्स एवं विद्यालय बैग्स को कक्षाओं में या अन्यत्र नहीं छोडेंगे। प्रतिबन्धित सामान को विद्यालय में नहीं लाया जायेगा। प्रतिबन्धित वस्तु पाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने और अधिक गंभीर अपराधों के लिए विद्यालय कठोर कदम उठाने को पूर्णतः स्वतंत्र होगा। लावारिस छोड़ी गई वस्तुओं की कोई जिम्मेदारी विद्यालय नहीं लेगा, इसलिये विद्यार्थियों को लॉकर्स उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनकी प्रति 3 माह से कमेटी द्वारा जांच की जावेगी।

प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची :–

1. खिलौना या रेप्लिका गन या अन्य तरह का वास्तविक हथियार।
2. चाकू।
3. स्लिंग शॉट।
4. पालतू जानवर।
5. चूइंग गम्स।
6. कीमती सामान जैसे नकद राशि, गहने इत्यादि।

7. मद्यसार मदिरा।
8. सिगरेट/तम्बाकू।
9. पटाखे।
10. होली के रंग/पानी के गुब्बारे।
11. ड्रग्स।
12. व्हाइटनर लिक्विड।
13. पॉर्नोग्राफिक सामग्री।
14. माचिस/लाइटर/अगरबती (जॉयस्टिक्स)/अन्य सामग्री जिससे स्वास्थ्य को खतरा हो या अग्नि का खतरा हो।
15. अन्य आपतिजनक सामग्री।

पुस्तकालय नियमः

जब आप पुस्तकालय में होंगे तब पूरी खामोशी बरतेंगे। कोई बात या फुसफसाहट न करेंगे। सार्वभौमिक रूप से पुस्तकालय शांति के क्षेत्र हैं जो एकाग्र होकर एवं निर्बाध रूप से अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। विद्यार्थियों द्वारा लिये जा सकने वाली पुस्तकों की अनुमति योग्य ऊपरी सीमा विभिन्न ग्रेडों के लिए भिन्न होगी।

सभी सदस्यों को प्रत्येक पुस्तक को लेने से पुर्व चैक कर लेना चाहिए। पुस्तक को लौटाये जाते समय पुस्तक में पाई गई क्षति के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जायेगा। पुस्तक के खो जाने पर विद्यार्थियों को उसकी लागत का भुगतान करना होगा। यदि कोई पुस्तक लम्बे समय से जमा नहीं कराई जाती है तो उसके सदस्यता अधिकारों को निलम्बित कर दिया जाता है और अन्य कोई सामग्री जारी नहीं की जाती है। विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकों की एक दूसरे से अदला–बदली नहीं करनी चाहिए। पुस्तक खो जाने की स्थिति में, मूल लेनदार को जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

परिसर छोड़नाः

विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की सुरक्षा के लिए कैम्पस/खेल स्थान को प्राचार्य/सी.ओ. स्काउट (प्रशिक्षण केन्द्र) या फैकल्टी मैम्बर इंचार्ज की अनुमति के बिना नहीं छोड़ने की स्वीकृति नहीं होगी।

अनुचित भाषा का प्रयोगः

भाषा संवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय समुदाय के सभी सदस्यों को उचित भाषा के प्रयोग के प्रति सम्मान एवं संवेदनशीलता दिखानी होगी।

खेल–कूदः

आचार संहिता – राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय में खेल–कूद, आमोद–प्रमोद (एन्जॉयमेन्ट), विश्राम (रिलेक्सेशन) एवं वर्जिश (एक्सरसाइज) के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे। दोस्ताना प्रतिस्पर्द्धा को विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास एवं स्वयं के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी एवं प्रत्येक स्टाफ मेम्बर, जो कि राजस्थान स्काउट (सैनिक)आवासीय विद्यालय की ओर से खेल–कूद प्रतिस्पर्द्धा में भाग लेगा, वह विद्यालय का दूत होगा।

खिलाड़ी या प्रतिभागी यह सदैव ध्यान रखेंः–

- समय पर आयें।
- उचित वेशभूषा में रहें।
- प्रतिस्पर्द्धा से पूर्व प्रतिद्वंदि का दोस्ताना ढंग से अभिवादन करें तथा प्रतिस्पर्द्धा उपरान्त प्रतिद्वंदि तथा अम्पायर/रेफरी को धन्यवाद दें।
- टीम खेल–कूद को टीम भावना व अपनी पूर्ण योग्यता से खेलें।
- दल के सदस्यों को उत्साहित करें।
- कप्तान को दल का प्रतिनिधित्व करने दें।
- हार–जीत को खेल भावना से लें।

खिलाड़ी या प्रतिभागी यह न करें :–

- रेफरी के निर्णय पर प्रश्न।
- खेल के दौरान क्रोध या नकारात्मक भाव का प्रदर्शन।

निगरानी (सर्विलेन्स)

विद्यालय के कैम्पस की सुरक्षा का जिम्मा एक सुरक्षा सेवा एजेन्सी को दिया गया है। प्रत्येक की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर कोबरा वायर लगाया गया है, सी.सी.टी.वी कैमरे से सुरक्षा तथा लगातार गश्त लगाई जायेगी और सभी बाहरी दरवाजों पर सुरक्षा गार्ड रहेंगे। कैम्पस के भीतर के भवन को पूर्णतया पैक किया हुआ है। विद्यार्थियों का आगमन एवं प्रस्थान एग्जिट पॉलिसी से शासित होगा। प्रत्येक विजिटर रिसेप्शन पर रजिस्ट्रेशन करवायेंगे और आगे जाने से पूर्व विजिटर्स पास प्राप्त करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी एवं स्टाफ मेम्बर पहचान के लिए आइडेन्टिटी कार्ड जारी किये जायेंगे।

पहचान पत्र –

1. प्रत्येक विद्यार्थी को दो आइडेन्टिटी कार्ड निःशुल्क जारी किये जायेंगे।
2. प्रत्येक विद्यार्थी के दो अभिभावकों के आइडेन्टिटी कार्ड निःशुल्क बनाये जायेंगे।
3. स्टूडेन्ट आइडेन्टिटी कार्ड, जो कि विद्यार्थी द्वारा विद्यालय कैम्पस में पहना जायेगा।
4. एग्जिट कार्ड, जो कि अभिभावकों के पास सदैव रहेगा। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को कैम्पस छोड़ने की अनुमत केवल आदिनांकित एग्जिट कार्ड के धारक व्यक्ति के साथ ही दी जावेगी।
5. विद्यार्थी एवं अभिभावकों से प्रार्थना है कि वे इन कार्ड्स को अच्छी तरह रखें क्योंकि ये विद्यालय की सुरक्षा सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग है। किसी कार्ड के खो जाने की सूचना तुरन्त विद्यालय प्रशासन को दी जावे। निर्धारित राशि ली जाकर नया कार्ड जारी किया जावेगा। दुरूपयोग को रोकने के लिए, अभिभावकों से प्रार्थना है कि वे एग्जिट कार्ड्स को विद्यार्थियों के साथ न छोड़ें।

घर – विद्यालय का संचार एवं सूचना प्रबन्धन :

स्कूल न्यूजलेटर ईमेल के द्वारा पीरियोडिकली भेजे जायेंगे जो स्कूल एवं घर के मध्य संवाद का एक महत्वपूर्ण चैनल स्थापित करेंगे। अलग–अलग संवादों की संख्या को न्यूनतम करने के उद्देश्य से इन न्यूजलेटरों में अभिभावकों के लिए साधारण तौर पर समस्त सामान्य संदेश सम्मिलित होंगे। यदि आप साधारण मेल के जरिये संवाद करने को वरीयता देंगे तो आपको कार्यालय से सम्पर्क कर उन्हें अपना सही मेलिंग एड्रेस देना होगा। याद रहे, यदि

आप अपना ईमेल पता, पोस्टल पता, टेलीफोन या मोबाइल नम्बर बदलते हैं तो इसकी सूचना विद्यालय को लिखित में देनी होगी।

हमसे कैसे सम्पर्क करें :–

अभिभावकों का अपॉइन्टमेंट के लिए प्राचार्य/सी. ओ. स्काउट (प्रशिक्षण केन्द्र) या अध्यापकों से सीधे सम्पर्क करने हेतु स्वागत है। यह सलाह दी जाती है कि प्राचार्य के कार्यालय से अपोइन्टमेन्ट ले लें या प्रशासनिक कार्यालय से सम्पर्क करें ताकि हम पहले से ही आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकें और आपस में सुविधाजनक समय पर मीटिंग का प्रबन्ध कर सकें।

हमारा कार्यालय प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक सोमवार से शनिवार को खुलेगा। इन समयों से पहले एवं बाद में आनसरिंग मशीन्स कार्यरत होंगी और हम जितना शीघ्र हो सकेगा, उतना शीघ्र जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यालय के ईमेल एड्रेसेज, टेलीफोन एवं फैक्स नम्बरों की प्रकाशित सूची को अवश्य देख ले।

कैम्पस से टेलीफोनिंग :

सेल फोन्स : आदर्श के तौर पर हमारी वरीयता यह है कि विद्यार्थीगण अपने साथ सेल फोन्स न लायें। हालांकि विद्यार्थियों को विद्यालय समय के पश्चात या घर जाते समय रास्ते में घर से सम्पर्क करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए विद्यालय में मोबाइल फोन लाने की अनुमति दी जावेगी। यह रियायत बड़ें शहर में रहने एवं यात्रा करने की जटिलता को देखते हुए अभिभावकों को राहत देने के लिए दी जा रही है। इन फोन्स को किसी भी परिस्थिति में विद्यालय में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विद्यालय समय में फोन्स स्विच ऑफ करके रखे जायेंगे, न कि साइलेन्ट मोड पर।

चिकित्सालय (मेडिकल केयर)

राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय का आइसोलेशन बेड्स सहित पूर्ण सुसज्जित चिकित्सालय के साथ व्यवस्था रहेगी। प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने एवं छोटी बीमारियों का त्वरित उपचार उपलब्ध करवाने हेतु पूरे समय फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विद्यालय के भवन में भी प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध रहेगा। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए हमारी पहुंच एक एम्बूलेन्स तक रहेगी तथा एक फुल स्केल

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ व्यवस्था रहेगी। आपातकाल की स्थिति में मरीज उचित समय में अस्पताल पहुंच सकता है।

राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों का नियमित मेडिकल चैक–अप होगा जिसमें ऊचाई, भार, आंखे, कान एवं दातों का चैक–अप सम्मिलित है। भर्ती से पहले अभिभावकों को वृहद मेडिकल फॉर्म का भरना होगा जो उनके बच्चों के मेडिकल रिकार्ड का आधार बनेगा। यह फॉर्म प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में आदिनांकित करके पुनः प्रस्तुत किया जाना होगा। अभिभावकों से उम्मीद है कि वे डाइबिटीज, अस्थमा या अलर्जी जैसी विशेष मेडिकल समस्याओं की स्थिति में हमें विस्तृत सूचना देंगे।

ट्रांसियेन्ट या लम्बी अवधि का उपचार प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को विद्यालय प्रवेश के समय सूचित करना होगा या शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय के स्वास्थ्य अधिकारी से बात करनी होगी ताकि मेडिकल फार्म पर उचित सूचना को दर्ज किया जा सके। विद्यार्थियों को किसी अनुपस्थिति से या अवकाश से विद्यालय लौटने पर बीमारी या दुर्घटना की सूचना विद्यालय प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। किसी चिकित्सकीय आपात स्थिति में हम अभिभावकों/माता–पिता से तुरन्त सम्पर्क के सभी प्रयास करेंगे।

मेस फूड

राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय द्वारा भोजन उपलब्ध कराने का कार्य विद्यालय मैस समिति के माध्यम से की जायेगी। अच्छी गुणवता का भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान स्काउट (सैनिक) आवासीय विद्यालय की सुसज्जित रसोई है। एवं इसका उचित ढंग से रख–रखाव किया गया है तथा मैस स्टाफ द्वारा भोजन तैयार करने के साथ–साथ, प्रातःकालीन एवं सायंकालीन स्नेक्स तैयार करेंगे। भोजन शुद्ध शाकाहारी होगा, किन्तु मीनू बदलता रहेगा। स्वास्थ्य के लिए हितकर एवं संतुलित आहार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्वाद व विभिन्न शैली के भोजन (क्विीजीन) उपलब्ध कराये जायेंगे। भोजन का नियमित निरीक्षण किया जायेगा और विद्यार्थियों को सभी भोजन के लिए उपस्थित रहना वांछनीय होगा। सभी सुविधाओं के साथ पूर्ण सुसज्जित डाइनिंग हॉल है। चिकित्सीय आधारों पर किसी विशिष्ट आहार की आवश्यकता होने पर विद्यालय प्रशासन अलग से व्यवस्था करेगा।